

(क) जी हाँ।

(ख) मा० सदस्य के पत्र में डा० रमेश चन्द्रा, सेवा निवृत्त जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के देयकों का यथाशीघ्र भुगतान कराये जाने हेतु संस्तुति की गयी है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि डा० चन्द्रा के सेवानिवृत्तिक देयकों की स्वीकृति/ भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है, अतः इस संबंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डा० धर्म सिंह सैनी

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)